

(क) कुतुब मीनार दिल्ली के ऐतिहासिक पहलू के बारे में प्रमुख इतिहासकारों और विद्वानों के बीच मतभेद का व्यौरा क्या है और उन प्रमुख इतिहासकारों तथा विद्वानों के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या तथ्यों का पता लगाने के लिये उन इतिहासकारों तथा विद्वानों की एक गोष्ठी बुलाने के प्रस्ताव पर सरकार विचार करेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती जहांगिरा जयपाल सिंह) : (क) कुतुब मीनार के इतिहास के सम्बंध में प्रमुख इतिहासकारों और विद्वानों के बीच मतभेद के व्यौरे विवरण में दिये हैं जो समा-पटल पर रखा गया है। (पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या LT—894/69)

(ख) और (ग). जी नहीं। जब तक कुतुब मीनार के इतिहास के सम्बन्ध में कुछ नई सामग्री का पता नहीं चलता, तब तक किसी गोष्ठी के बहुत उपयोगी सिद्ध होने की सम्भावना नहीं है।

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा संचार विभाग की नियम पुस्तिकाओं तथा प्रपत्रों का अनुवाद

7602. श्री बलराज मधोक :

श्री नारायण स्वरूप शर्मा :

कुमारी कमला कुमारी :

श्री रामस्वरूप बिद्यार्थी :

श्री श्रीम प्रकाश त्यागी :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संचार विभाग तथा उससे सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों से केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय को अब तक संशोधन करने के लिए कुल कितने अनुदित प्रपत्र तथा नियम पुस्तिकाएं प्राप्त हुई हैं।

(ख) यदि हां, तो संशोधन किये जाने के बाद कितने प्रपत्र तथा नियम पुस्तिकाएं

सम्बन्धित कार्यालयों को लौटाई गई हैं ; और  
(ग) देश अनुदित प्रपत्रों तथा नियम पुस्तिकाओं में संशोधन करने के बारे में स्थिति क्या है और संशोधन कार्य कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भवत वर्शन) : (क) से (ग). संचार मंत्रालय और उसके सम्बद्ध तथा अधीन कार्यालयों से जांच के लिए 3 फार्म और 6 मनुअल प्राप्त हुए थे। उन सभी को जांच करने के बाद लौटा दिया गया है। केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के पास इस समय कोई कार्य निलंबित नहीं है।

सरकारी कर्मचारियों को स्थायी बनाने के बारे में नियम

7603. श्री नारायण स्वरूप शर्मा :

श्री राम स्वरूप बिद्यार्थी :

श्री श्रीम प्रकाश त्यागी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को स्थाई बनाने के बारे में कोई नये नियम बनाए गए हैं ; और

(ख) क्या सरकारी कर्मचारियों को स्थाई बनाने के बारे में वर्तमान आदेशों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाएगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बिद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). स्थायीकरण से संबन्धित विद्यमान सामान्य तत्व तथा प्रक्रिया 20-12-68 को लोक सभा में सर्वश्री पी० आर० ठाकुर और सिधय्या के अतारंकित प्रश्न संख्या 5370 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में दिये थे। प्रत्येक निम्नलिखित संबंधित आदेश की एक प्रतिलिपि सदन के सभा-पटल पर रखी जाती है। (पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या LT—895/69)

कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/9/58 आर० पी० एस० दि० 16-5-59

कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/1/55 आर० पी० एस०  
दि० 17-2-55  
कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/10/64 सिब्वन्दी (छ)  
दि० 14-1-65  
कार्यालय ज्ञापन संख्या 12/10/63 सिब्वन्दी (घ)  
दि० 27-12-63  
कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ० 44/1/59 सिब्वन्दी  
(क) दि० 15-4-59

गृह मंत्रालय द्वारा कोई नया आदेश नहीं निकाला गया है।

दिल्ली में ग्रीनफील्ड्स कालोनी के प्लॉट होल्डर  
7604. श्री नारायण स्वरूप शर्मा :  
श्री रामस्वरूप बिद्यार्थी :  
श्री भोम प्रकाश त्यागी :  
श्री राम चन्द्र वीरप्पा :

क्या गृह-कार्य मंत्री 20 दिसम्बर, 1968 के अतारंकित प्रश्न संख्या 5335 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के निकट ग्रीनफील्ड्स कालोनी के प्लॉट होल्डरों को दिये गये कथित धोखे के बारे में सरकार ने जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन तथ्यों का पता लगा है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि अब तक जांच पूरी नहीं की गई है तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बिद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) इन परिस्थितियों में तथा मामले के तथ्यों पर कालोनाइजर के विरुद्ध घोखाघड़ी तथा गबन का कोई अपराध स्थापित नहीं हो सका।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय सड़क समिति

7605. श्री नारायण स्वरूप शर्मा :  
श्री राम स्वरूप बिद्यार्थी :  
कुमारी कमला कुमारी :  
श्री भोम प्रकाश त्यागी :

क्या नौबहन तथा परिवहन मंत्री

20 दिसम्बर, 1968 के अतारंकित प्रश्न संख्या 5264 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सड़क समिति नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) यह समिति कब तक नियुक्त की जायेगी ?

संसद कार्य विभाग और नौबहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (घ). केन्द्रीय सड़क समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है।

विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के लिये  
मर्ती सम्बन्धी योजना

7606. श्री राम स्वरूप बिद्यार्थी :  
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :  
श्री भोम प्रकाश त्यागी :

क्या गृह-कार्य मंत्री 20 दिसम्बर, 1968 के अतारंकित प्रश्न संख्या 5356 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी विशेष भर्ती वर्ष में भरे जाने वाले रिक्त स्थानों की संख्या का अनुमान लगाने के लिये उनके मंत्रालय द्वारा विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों को भेजे गये पत्र के बारे में उन मंत्रालयों तथा विभागों की प्रतिक्रिया क्या है;

(ख) जिन मंत्रालयों तथा विभागों ने इस बारे में कार्यवाही की है, उनके नाम क्या हैं;

(ग) क्या संघ लोक सेवा आयोग की हिदायतों के बारे में मंत्रालयों आदि का ध्यान दिलाया गया है;

(घ) यदि हां, तो उन्हें कब हिदायतें दी गईं और उनका व्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो कब तक हिदायतें जारी किये जाने की संभावना है ?